



Pandit Deendayal Upadhyaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011

Act No. 22 of 2011

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 04 नवम्बर, 2011 ई0
कार्तिक 13, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 357/XXXVI(3)/2011/57(1)/2010
देहरादून, 04 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011' पर दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

{अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2011}

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- (3) इसका विस्तार राज्य के ऐसे भाग पर है, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
- (क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;
- (ख) "अनुमोदित संस्था" विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च शिक्षा की संस्था अभिप्रेत है;
- (ग) "स्वशासी महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राविधानों द्वारा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त घोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (घ) "महाविद्यालय" से इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
- (ङ) "विद्यमान महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जो उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है और राज्य में स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जा रही हो।
- (च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए

- आरक्षण) अधिनियम 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है;
- (छ) "शैक्षिक परिषद्" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् से अभिप्रेत है;
- (ज) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (झ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;
- (ञ) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;
- (ट) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (ठ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;
- (ढ) "कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;
- (ण) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (त) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत है;
- (थ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
- (द) "विहित" से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ध) "प्रधानाचार्य" से महाविद्यालय के प्रधान अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाय और उसके अन्तर्गत जहाँ कोई प्रधानाचार्य न हो, वहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य भी सम्मिलित है;
- (न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;
- (प) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (फ) "संघटक महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो और जिसे विनियमों के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो;

- (ब) "अनुरक्षण अनुदान" से किसी महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान अभिप्रेत है;
- (भ) "प्रबन्धन" से किसी सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्थान के संबंध में ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय या संस्थान के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;
- (म) "विश्वविद्यालय के अधिकारीगण" से अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित अधिकारी अभिप्रेत है;
- (य) "सम्पत्ति" से किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, ऐसी समस्त चल या अचल सम्पत्ति अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय की हो या महाविद्यालय के लाभार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रदत्त हो, जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, औजार, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित वाहन या अन्य वाहन, यदि कोई हो, सम्मिलित है और महाविद्यालय से सम्बद्ध वे सभी वस्तुएं जैसे हस्तगत धन, बैंक में जमा धनराशि, निवेश और अंकित ऋण एवं ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त अधिकार एवं हित, जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रणाधीन हो और लेखा पंजिका और अन्य सभी अभिलेख, जो किसी भी प्रकृति के हों और महाविद्यालय की सभी विद्यमान देनदारियां, दायित्व एवं वैधानिक अनुग्रह भी इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों;
- (र) "पंजीकृत स्नातक" से इस अधिनियम एवं उसके द्वारा निरसित अथवा अधिक्रमित किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;
- (ल) "स्ववित्त पोषित संस्था" से ऐसा महाविद्यालय या संस्थाएँ अभिप्रेत है, जिनको इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये अध्यादेश एवं परिनियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में सम्बद्धता प्रदत्त हो;
- (व) "शिक्षक" से शिक्षण प्रदान करने, या/और अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों में संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्राचार्य भी है।

अध्याय – 2

विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन
3. (1) पं० दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बादशाहीथौल, जनपद—टिहरी गढ़वाल में अवस्थित होगा और वह राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो आवश्यक समझे, अपने अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

- 4 (1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता गढ़वाल मण्डल में होगी।
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे विद्यमान महाविद्यालयों/संस्थानों से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) वर्तमान में हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के ऐसे प्रारम्भ दिनांक को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र ऐसे प्रारम्भ व पश्चात पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने का हकदार होगा और उसे ऐसा करने की अनुमति भी दी जायेगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ही ऐसे छात्र की पूरी विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा और उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

राज्य सरकार की
अधिसूचना जारी
करने की शक्ति

5. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :-
- (1) विश्वविद्यालय का क्षेत्र या शैक्षणिक अधिकारिता को घटा या बढ़ा सकेगी;
 - (2) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में, अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का संशोधन करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो और तत्पश्चात् अनुसूची तथा संगत परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।
 - (3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगी; अर्थात्-
 - (क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;
 - (ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में पंजीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिये उपबन्ध इस शर्त पर कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होगा;
 - (ग) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय
सभी वर्गों और
मतावलम्बियों के
लिए होगा

6. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, लिंग या मत के हो, किन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विशेष पृष्ठभूमि के व्यक्ति, व्यक्तियों, जाति या वर्ग के लिए, जिसे विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, भेदभाव को रोकने के लिए, विश्वविद्यालय या सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना प्रतिबन्धित है।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और

7.

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे; अर्थात् –

(क) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और परामर्श सेवा सहित अनुसंधान, विस्तार कार्यों में ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना :

परन्तु यह कि अनुसंधान और विस्तार कार्य के क्षेत्रों को ऐसी रीति से प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे उच्च शिक्षा/ज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा प्रथम होने के कारण शिक्षण के कृत्यों का अधिक्रमण न हो

(ख) शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों का पुनर्योजन और अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ परामर्श एवं सहयोग और उद्यमिता विस्तार ऐसी रीति से, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, जिससे शैक्षणिक अभिवर्धन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की गति तीव्र करने और नई सामाजिक माँगों के साथ चलने के लिए अन्तर/बहुविषयी केन्द्रों/विभागों की स्थापना को सम्मिलित किया जा सके;

(ग) शिक्षा की सम्भावनाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय को सम्बद्ध करना तथा उनसे सहयुक्त रहना;

(घ) छात्रों को रोजगार बाजार में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धी बनाने, उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सुधि नागरिकों के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सुसज्जित करने के उद्देश्य से उनके नैतिक चरित्र एवं क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करना;

(ङ) पीठ, उपाधियों, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(च) किसी महाविद्यालय या विभिन्न नामों वाले स्ववित्त पोषित संस्थाओं को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थाओं का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(छ) ऐसे व्यक्तियों के लिए (किसी लिंग, जाति, मत या अन्यथा विकलांगता के भेदभाव के बिना) परीक्षाएं आयोजित करना, जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर, संघट्टक या

सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या स्ववित्त पोषित संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त किसी संस्था या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो या जिसे किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त हो, को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टतियाँ प्रदान करना;

- (ज) परिनियमों में अधिलिखित रीति और शर्तों के अधीन सम्मानित उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (झ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित ऐसे शैक्षणिक और अन्य पदों को राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् संस्थित करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे और राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे सृजित पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (ट) महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थाओं की सम्बद्धता तथा मान्यता संबंधी शर्तें निर्धारित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;
- (ठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अधि छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (ड) ऐसी फीस और अन्य प्रभार माँगना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाये;
- (ढ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित ऐसे समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

अध्याय – 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के
अधिकारी

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे; अर्थात् :-
- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;

- (ग) वित्त अधिकारी ;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ) परीक्षा नियंत्रक;
- (च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

9. (1) उत्तराखण्ड के महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रधान व सभा के सभापति होंगे और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेंगे।
- (2) मानद उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।
- (3) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य से सम्बन्धित किसी जानकारी या अभिलेख, कुलाधिपति द्वारा मांगे जाने पर कुलपति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (4) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जो उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त की गई हो।

कुलपति

10. (1) कुलाधिपति द्वारा, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-
- (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,
 - (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति,
 - (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव, जो समिति का सदस्य संयोजक होगा।
- (3) समिति गुणावगुण के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी, जो कुलपति का

पद धारण करने के लिए उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टियों का संक्षिप्त विवरण भेजेगी, किन्तु उनमें कोई अधिमान कम उपदर्शित नहीं करेगी।

- (4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।
- (5) जहाँ शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई मामला ऐसी आवश्यक प्रकृति का हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशस्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कारवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कारवाई कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (6) कुलपति की उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु यह है कि कुलपति की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

- (7) यदि कुलपति अनुपस्थित रहने, अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्राध्यापक/जिसे कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाय तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर ले अथवा यदि कुलपति का पद रिक्त हो तो जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति न हो जाय।
- (8) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम/अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या स्वयं में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति के पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, अपने आदेश द्वारा कुलपति को निलंबित कर सकता है अथवा हटा सकता है।

- (9) आपात स्थिति से निपटने के लिए कुलाधिपति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त करने की शक्ति होगी :-
- (क) जहाँ कुलपति का पद अवकाश लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार को तुरंत दी जायेगी;
- (ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो।
- (10) कुलपति किसी पेंशन, बीमे या भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा।
- (11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक राज्य सरकार कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रध्यापकों में से किसी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
- (12) निधियों के दुर्वियोजन या कुप्रबन्ध या ऐसे दुर्व्यवहार या कदाचार के आरोपों के आधार पर, जो इस उच्च पद के लिए अशोभनीय है, लिखित रूप में कारण बताते हुए, दो माह के अन्दर पूर्ण की जाने वाली समयबद्ध जाँच के पश्चात् कुलपति को, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर उसके पद से हटाने की शक्ति होगी।
- (13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रेत्तर आदेश न दिया जाय-
- (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;
- (ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

- कुलपति की सेवा शर्तें** 11. कोई व्यक्ति कुलपति नियुक्त किये जाने पर, सरकार के आदेशों के अनुसार नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह से अनधिक अवधि के भीतर पद ग्रहण करेगा।
- कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य** 12. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और –
- (क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित परिसर, संघटक महाविद्यालय, संस्थान और उसके सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान, भी है, के कार्यकलापों पर सामान्य परिवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;
- (ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, सभा (कोर्ट) के अधिनियमों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापति होगा ;
- (घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित और समुचित समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायें और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।
- (2) वह कार्यपरिषद्, शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।
- (4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये।
- (5) कुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, शैक्षिक परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(6) जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त, विश्वविद्यालय, समबद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति, ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह राज्य सरकार तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण कम में मामले के संबंध में कार्यवाही करते हो :

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से कोई विचलन हो तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी तथा अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगी या उसे निष्प्रभावी कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित करेगी, जैसा वह ठीक समझे और तदोपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावित होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से अभिसूचित किया जाये, तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा और तदोपरांत कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी और इस विषय में इस प्रकार लिया गया विनिश्चय, सामान्यतः प्रत्यावेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की तिथि के छः माह के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को अभिसूचित किया जायेगा।

- (7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो, किन्तु असाधारण मामलों में, असाधारण अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह विहित दरों से अधिक देय की संस्वीकृति प्रदान कर सकेगा। ऐसे सभी मामले यथाशीघ्र राज्य सरकार के संज्ञान में लाये जायेंगे।
- (8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी कृत्यकारी की नियुक्ति की गयी हो तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

वित्त अधिकारी

13. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (2) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के समक्ष बजट (आय-व्ययक) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-
- (क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा निवेश से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;
- (ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निर्बन्धनों का उल्लंघन करता हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेश का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

- (5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।
- (6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।
- (7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो समय-समय पर विहित किये जाएं।

कुलसचिव

14. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
- (2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी :

परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है और पद रिक्त रहता है तो राज्य सरकार प्रति नियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगी।
- (3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्राणित करने की शक्ति होगी।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद का पदेन सचिव होगा तथा वह कार्य परिषद के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विहित किये जाये या कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा उनके स्थानान्तरण और तैनाती के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) उन मामलों के सिवाय, जहाँ कार्य परिषद द्वारा अन्यथा निर्देश दिया जाये, कुलसचिव परिक्षाओं से संबंधित गोपनीय कार्य और गोपनीयता बनाये रखने

के लिए उत्तरदायी होगा।

- (7) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सम्बद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (8) कुलसचिव, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षणों के संचालन और साधारण तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।
- (9) कुलसचिव को वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यालय प्रधान की समस्त शक्तियाँ होगी, तथापि राज्य सरकार कुलपति की संस्तुति से संस्वीकृति की सीमा में वृद्धि कर सकती है।
- (10) कुलसचिव को विनियमों में यथा-उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

कुलसचिवों,
उपकुलसचिवों
और सहायक
कुलसचिवों
की सेवाओं का
केन्द्रीयकरण

15. राज्य सरकार, कुलसचिवों, उपकुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी, जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये समान होगी तथा किसी ऐसी सेवा में भत्तों को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी।

परीक्षा नियंत्रक

16. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जो एसोसिएट प्रोफेसर से निम्न स्तर का न हो।
- (2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (3) परीक्षा नियंत्रक, कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष, ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायें या कार्यपरिषद अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह किसी

महाविद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

- (4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन परीक्षा कार्य से सम्बद्ध कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।
- (5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।
- (7) यदि परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

अन्य अधिकारियों की शक्तियों के निर्बन्धन और शर्तें रिक्तियाँ, कर्तव्य और सेवा

17.

इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, कुलाधिपति कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बन्धन और शर्तें तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाय अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण कार्यपरिषद के सदस्य

18.

धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) में उल्लिखित कार्य परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

19.

कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा कार्य परिषद के सदस्यों से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो इस अधिनियम में और/या परिनियमों और अध्यादेशों में उपबन्धित हों।

संकायाध्यक्ष

20. (1) संकायाध्यक्ष अवैतनिक प्राधिकारी होंगे, जिन्हें संकाय के आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुकम में नियुक्त किया जायेगा और वे तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय (स्ववित्त पोषित संस्थाओं सहित) के मामले में, ऐसे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित संकाय, यथास्थिति, का पदेन संकायाध्यक्ष होगा :

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हो, वहाँ प्रत्येक संकाय की अध्यक्षता चक्रानुकम में ऐसे महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मध्य होगी :

परन्तु यह भी कि यदि किसी संकाय में कोई प्राचार्य न हो तो उपाचार्य द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण किया जायेगा और यदि कोई उपाचार्य न हो तो संकायाध्यक्ष का पद चक्रानुकम में, वरिष्ठता के आधार पर, संकाय के प्रवक्ताओं द्वारा धारण किया जायेगा।

- (2) संकायाध्यक्ष संकाय परिषद का अध्यक्ष होगा, जिसकी (सदस्यों के कार्यकाल सहित), शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जाएं।
- (3) संकायाध्यक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:—
- (क) संकाय के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना ;
- (ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का समन्वयक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना; एवं
- (ग) संकायाध्यक्ष की अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

अध्याय- 4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय
के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात् :—
- (क) सभा (कोर्ट) ;
- (ख) कार्य परिषद;
- (ग) शैक्षिक परिषद;
- (घ) वित्त परिषद;

- (ड) परीक्षा परिषद्;
- (घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किये जाये।
- (छ) अध्ययन परिषद्, शोध विकास परिषद् तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

सभा (कोर्ट)

22. (1) सभा विश्वविद्यालय की एक परामर्शी निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और संकल्प पारित करने की तथा कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों पर सलाह देने की शक्ति होगी।

- (2) सभा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात् :-

वर्ग 1—पदेन सदस्य

- (क) कुलाधिपति, जो कि सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अथवा कुलपति को इसके लिए अधिकृत करेंगे;
- (ख) कुलपति, जो कुलाधिपति द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्षता करेगा;
- (ग) कार्य परिषद् के ऐसे शेष सदस्य, जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं हैं;
- (घ) कुलसचिव ;
- (ङ) वित्त अधिकारी ;
- (च) विश्वविद्यालय का पुस्ताकालयाध्यक्ष ;
- (छ) समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य ;
- (ज) उपलब्ध प्रतिष्ठता वृत्तियों, उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति—वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनाधिक व्यक्ति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाना है :

परन्तु यह कि नामांकन करते समय विभिन्न हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

वर्ग 2—शिक्षकों आदि के प्रतिनिधि,

- (क) संघटक महाविद्यालय/स्वायत्त महा विद्यालयों तथा संस्थानों के अध्यापन विभागों के विभागाध्यक्ष चकानुकम में;

- (ख) चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग संकायों के अध्यक्ष, यदि वे कार्यकारी परिषद के सदस्य न हों;
- (ग) विश्वविद्यालय परिसर तथा संघटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों के वार्डनों के दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चकीय क्रम से चुने जायेंगे;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य ;
- (ङ) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चुने गये पन्द्रह शिक्षक;
- (च) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रबन्धन से संबंधित दो प्रतिनिधि, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चकीय क्रम से चुने जायेंगे;

वर्ग-3 पंजीकृत स्नातक

पंजीकृत स्नातकों में से चुने गये पंद्रह ऐसे प्रतिनिधि, जो पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्धारित योग्यता से युक्त हों, तथा जो विश्वविद्यालय, या किसी संस्था अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हो अथवा सहयुक्त सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान अथवा छात्रावास प्रबन्धन से सम्बन्धित न हो;

वर्ग-4 छात्रों का प्रतिनिधित्व

प्रत्येक विभाग का एक छात्र/छात्रा, जिसने किसी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती डिग्री परीक्षा में अपने विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में अथवा विधि, शिक्षा, चिकित्सा या इंजीनियरिंग का छात्र हो, (सम्बद्ध, सहयुक्त महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थानों सहित) और

वर्ग-5 राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि

विधान सभा द्वारा चुने गये विधान सभा के दो सदस्य ;

वर्ग-6 राज्य में उद्योगों के प्रतिनिधि

राज्य सरकार द्वारा नामांकित उद्योगों के चार प्रतिनिधि;

वर्ग-7 कृत्यकारियों आदि के प्रतिनिधि

(एक) परीक्षा नियंत्रक;

(दो) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग (1) तथा वर्ग (3) के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी तथा वर्ग (1) तथा (4) के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा (कोर्ट) की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

23. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे; अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी सम्परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना;
- (ग) राज्य सरकार को ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में सलाह देना, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किए जाएं;
- (घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

सभा का अधिवेशन

24. (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलाधिपति की सुविधा के अनुसार कुलपति द्वारा नियत की जानी है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।
- (2) कुलपति जब उचित समझें तब तथा सभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों की लिखित व हस्ताक्षरित माँग पर, सभा की विशेष बैठक बलायी जा सकेगी।

कार्य परिषद् का गठन

25. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-
- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;
- (ख) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य, जो अपर सचिव स्तर से अनिम्न न हो ;
- (ग) संकायाध्यक्ष, विहित विधि से चकानुकम में;
- (घ) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और विश्वविद्यालय सम्बद्ध/स्वायत्त/संस्थानों का एक प्रवक्ता, जिन्हें विहित रीति से चयन किया हो;

- (ड) तीन प्राचार्य (एक स्वः वित्त पोषित संस्थाओं से) और सम्बद्ध महाविद्यालयों से दो अध्यापक, जिन्हें विहित रीति से चयन किया जाये;
- (च) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति :
परन्तु उक्त चारों में से एक उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निगमित क्षेत्र से एक व्यक्ति, जिसने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो;
- (ज) कोर्ट (विश्वविद्यालय की सभा) द्वारा निर्वाचित चार व्यक्ति।
- (2) (एक) उपधारा (1) के खण्ड—(ग), (घ) तथा खण्ड (ङ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा;
- (दो) उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ), (ज) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
- (तीन) उपधारा (1) के खण्ड (झ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
- (3) उपधारा (1) के खण्ड (च), (छ) तथा (ज) के अधीन कोई भी सदस्य निरन्तर दो कार्यकालों से अधिक के लिए कार्यपरिषद् का सदस्य नहीं हो सकेगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के लिए नाम निर्दिष्ट किए जाने और उसका सदस्य होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, यदि वह या उसका कोई सम्बन्धी विश्वविद्यालय और इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय एवं संस्थान अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान में या इनके किसी कार्य के संबंध में कोई वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है अथवा विश्वविद्यालय तथा इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों, स्ववित्त पोषित संस्थानों अथवा सहायतित के लिए या इनके किसी कार्य के निष्पादन हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु कोई सविदा करता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अंतर्गत 'सम्बन्धी' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित 'सम्बन्धी' अभिप्रेत है, जिसमें पत्नी या पति का भाई, पत्नी या पति का पिता, पत्नी या पति की बहन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री का भी सम्मिलित है।

कार्य परिषद की शक्तियाँ एवं

26. (1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुये उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होगी; अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना ;
 - (ख) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की ओर से कोई चल या अचल सम्पत्ति अर्जन करना या अन्तरित करना;
 - (ग) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना;
 - (घ) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी किसी निधि का प्रशासन करना;
 - (ङ) विश्वविद्यालय के आय-व्ययक पर विचार करना और संशोधन सहित या बिना संशोधन के उसका अनुमोदन करना;
 - (च) शिक्षा परिषद के विनिश्चयों का संशोधन या बिना संशोधनों के कार्यान्वयन करना;
 - (छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों और कर्मचारियों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु अस्थायी, आकस्मिक शक्तियों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी करना;
 - (ज) विभिन्न निकायों के वाह्य सदस्यों और चयन समितियों के विशेषज्ञों के लिए परिलब्धियाँ और बैठक प्रभार नियत करना ;
 - (झ) सम्बद्ध महाविद्यालयों, स्ववित्त पोषित संस्थाओं, सहयुक्त अथवा संघटक महाविद्यालयों और छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था करना और निर्देश देना ;
 - (ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के स्वरूप और उपयोग करने सम्बन्धी निर्देश देना;
 - (ट) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन एवं कार्यान्वयन करना ;
 - (ठ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेशों, सम्पत्ति कारोबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों के प्रबन्धन और विनियमन के सिद्धांत

निर्धारित करना और इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझे;

- (ड) वित्त समिति या वित्त अधिकारी या वित्त परामर्शी के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय की बचतों को ऐसे स्टाक, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में निवेश करना या जिन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थित हैं वहां राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन अचल सम्पत्ति का क्रय करना, जैसा वह समय-समय पर उचित समझे ;
- (ढ) विश्वविद्यालय के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना, जो उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो;
- (ण) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उनका कार्यान्वयन तथा निरसन करना, जैसा कि विहित किया जाए;
- (त) शिक्षकों के पदों पर धारणाधिकार दिए जाने हेतु उनके द्वारा मांगे गये असाधारण अवकाश पर विचार और स्वीकृत करना ;
- (थ) मानद उपाधि संस्थित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करना;
- (द) परिनियम व अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति विशेष, पदक या अन्य पुरस्कार संस्थित करना ;
- (ध) विश्वविद्यालय एवं उसके संस्थान, संघटक महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, संयुक्त महाविद्यालयों, स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त संस्थानों का, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार, विनियमन और अन्य मामलों का निर्धारण करना ।
- (2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति को (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम के मासानुमास किराये पर देने के) बंधक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा किसी रूप में हस्तांतरण नहीं करेगी, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा से संस्था कार्य परिषद उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम नहीं लेगी।
- (3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके संबंध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा

अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी भी संस्थान अथवा संघटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि कार्यपरिषद् कुलपति की संस्तुति से, विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभागों तथा उद्यमों में शिक्षकों के अन्य पदों को सृजित कर सकेगी तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या जिन पदों की संविदा व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत होगी :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् द्वारा इस विषय में लिए गये किसी निर्णय की सूचना तत्काल राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी, जिसे ऐसा आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार यह समझे कि ऐसे निर्णय से वित्तीय व अन्य शर्तें उस पर अधिरोपित हो सकती है, जिनको वह स्वीकार करने में सहमत नहीं है।

- (4) कार्यपरिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक के पदों का इस दृष्टि से सृजन कर सकती है, जिससे ऐसे शिक्षक की, जो तत्समय देश अथवा विदेश में किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक दायित्व के पद पर आसीन हो, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मूल पद पर धारणाधिकार एवं वरिष्ठता बनी रहे एवं वह अन्यत्र नियुक्ति की अवधि में अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त कर सके किन्तु ऐसी अवधि की अंशदायी भविष्य निधि लिये गये संस्थान द्वारा उसके पैत्रिक विभाग को प्रदान दी जायेगी ताकि वह सेवानिवृत्ति लाभ परिनियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके :

परन्तु यह कि ऐसी नियुक्ति की अवधि में ऐसे शिक्षक को मूल विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

- (5) विश्वविद्यालय या किसी संस्था या सहयुक्त, संघटक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा स्ववित्त पोषित संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय :

परन्तु यह कि स्ववित्त पोषित संस्थान, यदि चाहे तो विहित वेतन से अधिक वेतन और भत्तों का संदाय कर सकते हैं।

- (6) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आर्वतक अथवा अनार्वतक व्यय की सीमा से अधिक व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।
- (7) शैक्षिक परिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य शिक्षकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। निर्णयों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।
- (8) कार्य परिषद् सभा (कोर्ट) के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा (कोर्ट) को यथास्थित की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की जानकारी देगी।
- (9) कार्य परिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्ही शर्तों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय के किसी कृत्यकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बैठकों की
बारम्बारता, सूचना
अवधि तथा
गणपूर्ति

27. (1) सामान्यतया कार्यपरिषद् की बैठक न्यूनतम प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी तथा कुलसचिव द्वारा प्रत्येक बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व बैठक की सूचना एजेंडा व संलग्नकों सहित दी जायेगी, जब तक अन्यथा प्राविधानित न हो :

परन्तु यह कि यदि कुलपति के विचार से कोई अतिमहत्वपूर्ण विषय विचार के लिए उत्पन्न हो गया है जिसके कारण कार्यपरिषद् की आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो वह केवल तीन दिन की अल्प सूचना पर बैठक बुला सकता है। यह व्यवस्था कतिपय मामलों में अपनायी जायेगी एवं बैठक की सूचना के साथ ही सदस्यों में आपात स्थिति के कारण एवं सूचना के साथ एजेंडा वितरित कर दिया जायेगा।

- (2) गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की कम से कम आधी संख्या आवश्यक होगी तथा उस स्थिति में बैठक तथा उसमें लिये गये निर्णय अविधिमान्य न होंगे।

शैक्षिक परिषद्

28. (1) शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा निकाय होगी तथा अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए -

- (क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा, और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य, जिसमें परामर्श सलाह तथा उद्यमिता विकास अध्ययन आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के नियंत्रण तथा नियमन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ख) शिक्षा सम्बन्धी सभी विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी; और
- (ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किया जायें।
- (2) शैक्षिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-
- (एक) कुलपति, जो अध्यक्ष तथा संयोजक होगा;
- (दो) सभी संकायों के अध्यक्ष, यदि कोई हो;
- (तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों या स्ववित्त पोषित संस्थान से ज्येष्ठतम शिक्षक;
- (चार) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हो;
- (पांच) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जो विहित रीति से चकानुकम से चुने जायेंगे;
- (छः) विहित रीति से चुने गये दस शिक्षक;
- (सात) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (आठ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात तीन व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे;
- (नौ) पदेन परीक्षा नियंत्रक।
- (3) पदेन सदस्यों के भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।
- (4) शैक्षिक परिषद की बैठक प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम एक बार होगी।
- (5) शैक्षिक परिषद के अन्य कृत्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

29. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे; अर्थात् :-

- (क) कुलपति;
- (ख) राज्य सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव स्तर से अनिम्न न हो;
- (ग) राज्य सरकार में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर सचिव से न्यून पद का न हो;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ) कार्यपरिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत एक ऐसा व्यक्ति, जिसे वित्तीय मामलों का गहन अनुभव हो। निर्वाचित किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, स्ववित्त पोषित संस्थान या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो वित्तीय एवं या शैक्षणिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो;
- (छ) परीक्षा नियंत्रक;
- (ज) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।
- (2) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल आर्वतक तथा अनार्वतक व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार ऐसी नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार ऐसी नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आवद्धकर होगी :
- परन्तु यह कि इस उपधारा के प्राविधान धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन कुलपति को प्राप्त शक्तियों पर लागू नहीं होंगे एवं किये गये अतिरिक्त खर्चों की पूर्ति, बजट की अन्य मद में बचत कर, की जायेगी।
- (3) वित्त समिति की ऐसे अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाये।
- (4) जब तक वित्तीय प्रभाव वाले उस प्रस्ताव को, वित्त समिति द्वारा संस्तुत न कर दिया जाये, कार्य परिषद् उस पर निर्णय नहीं करेगी और यदि कार्य

परिषद् वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो, उस प्रस्ताव को असहमति के कारण सहित वित्त समिति को वापस लौटाएगी एवं यदि कार्यपरिषद्, पुनः वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हों तो प्रकरण निर्णय हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

30. (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथाउपबन्धित रूप में गठित की जायेगी।
- (2) समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अंतर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी; अर्थात् :-
- (क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
- (ख) विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में शिक्षा परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ग) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए शैक्षिक परिषद् को संस्तुतियाँ करना;
- (घ) अध्ययन परिषदों द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना।
- (3) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- (4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या यथास्थिति, उप समिति या किसी व्यक्ति को, जिसे उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त परीक्षा समिति ने अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की आगे की परीक्षाओं से वर्जित करने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने का दोषी हैं।

- अन्य प्राधिकारी 31. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों का गठन उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वहीं होंगे, जो विहित किये जाए।

अध्याय - 5

निरीक्षण और जाँच

- निरीक्षण/ भ्रमण 32. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, किसी महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित संस्थान, जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं और उपस्कर भी सम्मिलित हैं; में परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने अथवा इसी प्रकार विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों, संस्थानों या स्ववित्त पोषित संस्थानों के प्रशासन या वित्त सम्बन्धी किसी विषय के संबंध में जांच करने का अधिकार होगा।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, तो वह, उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को देगी और प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्ध तंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय/संस्थान की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
- (4) राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम सूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में

निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

- (5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंध तंत्र को दी गयी सूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह से सूचित करेगा।
- (6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के अन्दर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उस कार्य परिषद द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अंदर राज्य सरकार के समाधान के रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।

अध्याय-6

सम्बद्धता

सम्बद्धता

33. (1) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों, जो विहित की जाय, पूरा करने वाले महाविद्यालय की संबद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।
- (2) किसी महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।
- (3) इस अधिनियम द्वारा, यथा उपबंधित के सिवाय किसी महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारीवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत

करेगा, जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

- (5) कार्य परिषद् प्रत्येक महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायेगी।
- (6) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।
- (7) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से विनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या न्यून किया जा सकेगा।
- (8) उपधारा (2) और (7) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र संबद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो राज्य सरकार, प्रबंध तंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

प्रबन्ध तंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

34. कोई भी व्यक्ति, केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

अध्याय-7

परिनियम, अधिनियम और वित्तियम

परिनियम

35. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी; अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं और ऐसे प्राधिकारियों अन्य निकायों की सदस्यता के लिए अर्हताये और निरर्हताये उसके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना तथा उससे संबद्ध अन्य मामले;
- (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (घ) ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन संस्थाएँ विश्वविद्यालय से सहयोजित की जा सकेगी;
- (ङ) विश्वविद्यालय का प्रशासन, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन, महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना और उसका प्रत्यारण, संस्थाओं को अध्येतावृत्तियाँ और पुरस्कार प्रदान करना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना तथा प्रमाण पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया;
- (छ) विश्वविद्यालय के कोई अन्य विषय, जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।
- (2) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे।
- (3) कार्य परिषद् समय-समय पर इस धारा के परन्तुक में विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों में या संशोधन या उनका निरसन कर सकेगी :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियाँ या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी

राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् छात्रों के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानकों तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ही बनायेगी अन्यथा नहीं।

- (4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ परिनियम में संशोधन या अनुमति लौटा सकेगा।
- (5) किसी नये परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन की तब तक कोई वैधता नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति उस पर अनुमोदन न दे दें।
- (6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह/संस्तुतियों के आधार पर, कुलाधिपति के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत्त परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

अध्यादेश

36. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन निम्न सभी या किसी मामले में प्रथम अध्यादेश द्वारा उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात् :-
 - (क) छात्रों के प्रवेश, शोध छात्रों के प्रवेश, अध्ययन, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों से संबन्धित अर्हतायें, अध्येतावृत्तियां, पुरस्कार इत्यादि दिये जाने के लिए शर्तें;
 - (ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित और छात्रों के निवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशासन;
 - (ग) महाविद्यालयों का प्रबन्धन और विश्वविद्यालय से संबद्ध या उनके द्वारा पोषित संस्थाओं का परिरक्षण;
 - (घ) अन्य कोई मामले, जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में उपबन्धित

किये जाने है या अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकेंगे।

- (2) प्रथम अध्यादेश सरकार की पूर्व अनुमति से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अधिनियम कार्य परिषद द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

- विनियम** 37. विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा समितियों के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियमों एवं अधिनियमों से संगत अशों, जिनके लिए इस विधेयक, परिनियमों या अधिनियमों में, जो उपबन्धित नहीं किया गया है, परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

अध्याय-8

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

- वार्षिक प्रतिवेदन** 38. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।
- (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनोंक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित किया जाय।
- लेखा और लेखा-परीक्षा** 39. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा-परीक्षा की जायेगी।
- (2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद के संप्रक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाये जायेगे। ऐसे संप्रक्षणों पर कार्य परिषद के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

40. (1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे, तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निर्देश दे सकेगी।
- (2) विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या आचरण के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करें।
- (3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।
- (4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय, तो अधिभार भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय, वसूल किया जायेगा।

अध्याय-9

विविध

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्ति करने की रीति

41. (1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और प्राधिकारियों में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।
- (2) यदि इस अधिनियम या विनियमों में चकानुकम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई प्राविधान किया गया हो तो चकानुकम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताएँ अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

42. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी,

जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

- (2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

43.

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:—

- (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या
 (ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने का हकदार नहीं था; या
 (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या
 (घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

44.

कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता संबधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है कि जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को संदर्भ

45.

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी

प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

वाद का वर्जन

46.

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्य या आशय से किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति

47.

(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वार सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

(2)

विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख की अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

अपील करने का अधिकार

48.

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र

को विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरुद्ध विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्यपरिषद को अपील करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकती है, उसमें संवर्धन कर सकती है अथवा उसको बदल सकती है।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

49. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में, जो आदेश रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लाभ के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
- (4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।